हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/8/22 पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 29/8/22 को पेश हो।	
29/8/2022 प्रार्थी पक्ष उपस्थित। वकील विप्रार्थी उपस्थित। बहस हेतु अवसर चाह रहे हैं, जो अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 06.9.2022 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
06/9/22 प्रार्थी पक्ष उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1, 2, 24, 31, 32, 34, 36, 37, 39 व 45 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 4 व 6 से 13 एवं 15 से 18 के वकील उपस्थित। उक्त विप्रार्थी वकील की ओर से दस्तावेज की सूची मय फेहरिस्त पेश की गई,जो शामिल मिसल हो। शेष विप्रार्थी अनुपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी पक्ष की बहस है कि विवादित भूमि मे दर्शित रकबा निजी खातेदारी में दर्ज है। जिसकी किस्म बारान सोयम, राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। लेकिन उक्त रकबा आम जन के आने जाने हेतु कदीमी रास्ते के रूप मे उपयोग मे आ रहा है, जो विगत 50 वर्षो से भी अधिक समय से बारहमासी कदीमी रास्ता मौके पर चल रहा है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकीन रास्त दर्ज नहीं हो रखा है। जिसे राजस्व रिकार्ड में गै.मु.रास्ता दर्ज किया जावे। विप्रार्थी सख्या 1, 2, 24, 31, 32, 34, 36, 37, 39 व 45 के वकील की बहस है कि प्रार्थी की ओर से कदीमी रास्ता प्रस्तावित किया गया है जो विगत 50 वर्ष पुराना चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता जो मौके पर विद्यमान है। प्रस्तावित रास्ता ग्राम कालेवा में बारहमासी रास्ता व ग्रेवल सडक, स्थान ग्राम क्यार चारणान कटाण मार्ग से कालेवा ग्राम तक 50 वर्षो से चल रहा है, वही स्थान पर रास्ता खतौनी मे कायम किया जाता है। ग्राम कालेवा के खसरा संख्या 659 व 701 प्रार्थना पत्र के संलग्न परिशिष्ट अ नक्शा अनुसार रास्ता कायम किया जाता है,तो विप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है अत प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जावें। विप्रार्थी सख्या 4 व 6 से 13 एवं 15 से 18 के वकील की बहस है कि ग्राम कालेवा मे खातेदारी खेत खसरा सख्या 701 में कभी–भी कदीमी रास्ता/बाहरमासी रास्ता संचालित नहीं रहा है। उक्त रास्ते के जुडता गैर मुमकिन सरकारी कटाण रास्ता खसरा संख्या 793 वक्त सेटलमेंट से पूर्व से	

उप खण्ड अधिकारी

उप खण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
	चलता आ रहा है। उक्त प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार पचपदरा द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र 130,131,136 भू राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59, 60, 66,83 भू अभिलेख नियम 1970 के तहत पेश किया है,जो किसी भी तरह से मेंटेबल नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.05.2022 को तहसीलदार पचपदरा से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई,जो नायब उप तहसीलदार पाटोदी व भू.अभिलेख निरीक्षक पाटोदी एवं हल्का पटवारी द्वारा हम विप्रार्थी को बिना सुने गलत तौर से तैयार कर मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 23.05.2022 को तहसीलदार पचपदरा द्वारा माननीय न्यायालय में पेश की है। उक्त मौका जांच रिपोर्ट पूर्णतया [illegible]आवटी व झूठे तथ्यों के आधार पर तैयार की गई है,जो [illegible]कार योग्य है। मौका रिपोर्ट में खसरा नंबर 778 धोरा मौके पर रेतिला धोरा [illegible] कि खसरा नंबर 778 व 701 के बीच में खसरा नंबर 7[illegible] [illegible]र से कालेवा। उक्त रास्ता पर ग्रेवल सड़क बनी हुई [illegible] जिसके लिए मनरेगा पर्याप्त धनराशि स्वीकृत [illegible]। उक्त मौका रिपोर्ट हम पक्षकारन की गैर मौजूदगी में गलत तैयार की गई है,[illegible]कार्ड पर नहीं ली जावे व न ही पढ़ी जावे। अपनी ब[illegible] को जारी रखते हुए कथन किया कि भूमिधारी तहसीलदार द्वारा पेश उक्त [illegible]र्थना पत्र [illegible] परिशिष्ट अ,ब, हल्का पटवारी द्वारा विप्रार्थी संख्या [illegible] के दबाव में आकर गलत तौर से तैयार किये गये है,जो पूर्णतया गलत आधार पर तैयार [illegible] गए है। कि विप्रार्थी संख्या 32 ने विप्रार्थी संख्या 1 से 3 से मिलावट कर बअनवान कुतराराम वगैरा बनाम आईदानराम वगैरा प्रकरण संख्या 315/2016 अंतर्गत धारा 251 ए राज.का. अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय में पेश किया गया। उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा मंगवाई गई मौका रिपोर्ट में खसरा नंबर 701 में कदीमी रास्ता होने का कहीं भी उल्लेख नहीं है,न ही नजरी नक्शा मौके में दिखाया। उक्त प्रकरण भी माननीय न्यायालय में रिमाण्ड होकर वापिस आया है,जो अभी विचाराधीन होने के कारण उक्त प्रकरण चलने योग्य नहीं है। कि खसरा नंबर 701 व 778 के बीच गैर मुमकिन सरकारी कटाण रास्ता है,जो धोरे के अंदर से होकर जाता है,जो 3/4 धोरा कट चुका है,जो रास्ता कदीमी सेटलमेंट से चला आ रहा है,जो रकर्ड में मौजूद है,जिसमें से वाहनों व बसों का आवागमन चल रहा है। मौके पर फसले खड़ी है तथा ज्यादातर काश्तकार काश्त कर चुके है। वर्तमान में जो रास्ता चल रहा है,वह कदीमी है व सेटलमेंट से है व रकर्ड में भी अमल दरामद हो चुका है जहां से रास्ता चल रहा है उसे अलावा जो वैकल्पिक रास्ता की मांग की गई है जो कानूनन गलत है,कानून की स्पष्ट मंशा है,जहां वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है,वहां रास्ता की मांग नहीं की जा सकती। खातेदारी शुदा खसरा नंबर 701 में हम कुल 49 खातेदारान है,जिसमें कुछ परिवार बी.पी.एल व नाबालिग एवं विधवाये है। उक्त खसरा के बीचो बीच कभी कोई वाहनमार्ग या कदीमी रास्ता संचालित नहीं रहा न ही आज मौका पर संचालित है। राजस्व कर्मचारी हल्का पटवारी के दबाव में आकर की गई गलत मौका

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:00:23 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
रिपोर्ट के आधार पर यदि हमारे खेत में से कोई रास्ता कायम किया जाता है,तो हम विप्रार्थीगण और खातेदारान को पूर्ण रूप से अपूर्णीय क्षति होगी और खेत अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो जायेगा। अब बंटवारा होगा तो कई तरह की समस्याएं होगी व परिवारों को कई पीढ़ियों तक तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज फरमाया जावे। **हमने** उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड एवं दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि कि परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी [illegible] तहसीलदार पचपदरा द्वारा ग्राम कांकियो तहसील पचपदरा के खसरा [illegible] संख्या 701 वर्तमान खसरा संख्या 919/701 व खसरा संख्या [illegible] वर्तमान खसरा संख्या 919/669 में से प्रस्तावित बारहमासी [illegible] विगत 60 वर्षो से मौके पर चल रहा है,जिसे आमजन [illegible] उपयोग में लिया जा रहा है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में [illegible] सीयम दर्ज है,जो प्रस्तावित नक्शे में दर्शित रास्ता अनुसार [illegible] राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज की जावे। विप्रार्थी [illegible] 1,2,24,31,32,34,36,37,39 व 45 की ओर से प्रार्थी के आवेदन [illegible] तथ्यों को स्वीकार करते हुए जवाब पत्र किया तथा यह भी [illegible] कि प्रस्तावित रास्ता विगत 60 वर्षो से भी अधिक समय [illegible] बारहमासी चल रहा है और आमजन रास्ता का बारहमासी [illegible] के रूप में उपयोग लिया जा रहा है,प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किये जाने पर सहमति दी गई। विप्रार्थी संख्या 4 व 6 से 13 एवं 15 से 18 वगैरह की आपत्ति है कि प्रस्तावित कदीमी रास्ता मौके पर चल नहीं रहा है और मौके पर फसल खड़ी है व खसरा गिरदावरी भी प्रस्तावित नहीं है एवं नायब तहसीलदार पाटोदी द्वारा विवादित भूमि की मौका जांच रिपोर्ट विप्रार्थी पक्ष को बिना सूचना दिए एकतरफा रूप से अपनी मनमर्जी से गलत आधार पर बनाई गई है। यह तर्क मानने योग्य नहीं है,क्योंकि मौका जांच रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया है कि प्रस्तावित कदीमी रास्ता बारहमासी आमजन द्वारा आने जाने हेतु उपयोग में लिया जा रहा है और विगत 60 वर्षो से भी अधिक समय से चल रहा है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है,क्योंकि राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक:प.3 (2) राज–6/2003 /पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक:प.3 (2) राज–6/2021/ पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 के अनुसरण जहां पर रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है,परन्तु मौके पर स्थाई रूप से चल रहा है,ऐसे प्रकरणों में प्रार्थी भूमिधारी उक्त रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता रेकर्ड में इन्द्राज करवाने के लिए सुसंगत प्रावधानों के तहत आवेदन पेश कर सकता है और ऐसे बारहमासी कदीमी रास्ता का	

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:00:23 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बालोतरा (बाड़मेर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
	गैर मुमकिन रास्ता रेकर्ड में इन्द्राज किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण कदीमी रास्ता के श्रेणी में आता है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट साबित है कि प्रस्तावित रास्ता कदीमी रास्तें की श्रेणी में आता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया और शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फेसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:00:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.) बालोतरा

मुकदमा संख्या /2022

अनवान राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार पचपदरा बनाम छुतराराम वगैरा

--::आदेश::--

दिनांक 06.09.2022

श्रीमान जिला कलक्टर बाडमेर के पत्रांकःप.12()(1)राजस्व/2016/7205-40 दिनांक10.10.2016 के द्वारा प्राप्त निर्देशो की अनुपालना में तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन किया है,कि राजस्व **ग्राम कालेवा** पटवार मण्डल **कालेवा** तहसील पचपदरा की जमाबंदी संवत् 2076-2079 के अनुसार के निम्नांकित भूमि निजी खातेदारी में दर्ज है। लेकिन मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है,जिसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें।

भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा द्वारा अनुशंषा किये जाने पर राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकःप.3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांकःप.3(2)राज-6/2021/पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 के अनुसरण में में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 60 (एच) के तहत राजस्व **ग्राम कालेवा** पटवार मण्डल **कालेवा** तहसील पचपदरा की निम्नांकित निजी खातेदारी भूमि को **गैर मुमकिन रास्ता** दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ता सम्बन्धित निजी खातेदारी में रहेगा। परंतु नक्शे में जमाबंदी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जायेगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज की जायेगी। तहसीलदार पचपदरा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेस में आदेशानुसार पालना करते हुए पालना रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करावें। तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव व नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

क्र. स.	खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा (हैक्ट.)	किस्म	रास्ते हेतु मौके अनुसार प्रस्तावित भूमि		
					रकबा	किस्म	वि. वि.
1	छुतराराम, गंगाराम चैनाराम पि. आदाराम कौम जाट सा. कंवरली खातेदार	916/659	84.16	बरानी सोयम	1.05	गै.मु. रास्ता	नक्शे में दर्शित अनुसार तरमीम
2	भगवानसिंह, सवाईसिंह पि. अचलसिंह अभयसिंह, रामसिंह पि. मंगलसिंह कल्याणसिंह पुत्र मंगलसिंह, महेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह, रसालकंवर पत्नी गंगासिंह, तगासिंह, विशनसिंह पि. मोतीसिंह, दलपतसिंह गुमानसिंह, पि. फतेहसिंह, हुआकंवर पत्नी फतेहसिंह प्रतापसिंह स्वरूपसिंह पि. नारायणसिंह, नखतसिंह पत्नी नारायणसिंह भवानीसिंह, हीरासिंह पि. भूरासिंह, पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र वेरीसालसिंह सुगनकंवर पत्नी वेरीसालसिंह, सुमेरसिंह लक्ष्मणसिंह पि. नरपतसिंह उत्तमसिंह पुत्र नाथूसिंह, सोहनसिंह, बलवंतसिंह, गुलाबसिंह, गोपालसिंह पि. अर्जुनसिंह, दरियावकंवर	919/701	126.07	बरानी सोयम	2.02	गै.मु. रास्ता	नक्शे में दर्शित अनुसार तरमीम

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:00:23 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बालोतरा (बाड़मेर)

पत्नी अर्जुनसिंह, जसवंतसिंह, नखतसिंह पि. नवलसिंह, जालमसिंह, हरीसिंह, खुमानसिंह पि. भीमसिंह, तेजसिंह, दीपसिंह पि. चन्दनसिंह, जतनकंवर पत्नी चन्दनसिंह, लालसिंह पुत्र मूलसिंह, सागसिंह पदमसिंह पि. इन्द्रसिंह, छगनकंवर पत्नी दन्द्रसिंह शैतानसिंह पुत्र बुधसिंह, रतनसिंह, कानसिंह चन्दनसिंह, जालमसिंह पि. कूंपसिंह, राणसिंह पुत्र रेवतासिंह, मनोहरसिंह पुत्र रेवतासिंह, छतरोसिंह पुत्र रेवतासिंह, रघुवीरसिंह पुत्र रेवतासिंह, अमरसिंह पुत्र रेवतासिंह तमाम जातियान राजपूत नि. कालेवा खातेदार नोट– रहन–अर्जुनसिंह, जसवंतसिंह, नरपतसिंह पि. नवलसिंह, रघुवीरसिंह वल्द रेवतासिंह, छतरसिंह वल्द रेवतसिंह का हि. SBBJ शाखा–पाटोदी।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:00:23 IST
Reason: SelfAttested